

**REFERENCE TO DEMONSTRATION OF
STATE GOVERNMENTS' AND
CENTRAL GOVERNMENT'S EMPL-
OYEEES BEFORE PARLIAMENT
HOUSE**

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहूंगा। अभी हम गए थे। सारे राज्यों के कर्मचारी आए हैं। तमाम पानी पड़ रहा है, चारों तरफ से घुड़सवार पुलिस उनको घेरे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यह कौन सी व्यवस्था है जनतंत्र की जिसमें पानी में भीगते हुए राज्यकर्मचारी मजबूर किए जायें अपने डेलीबेरेशन्स को करने के लिये? यह जनतंत्र है? गृह मंत्री शुक्ल जी यहां बैठे हुए हैं, आपके जरिए मैं उनसे कहूंगा कि इन लोगों को बाकायदा यहां आने दियो जाय, चारों तरफ से घुड़सवार पुलिस उनको न घेरे, और पानी में भीगने के लिए मजबूर न करे।

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI D. THENGARI): You have mentioned it.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आप सरकार को कहें कि सरकार ने किस नियम के मातहत ऐसा किया है। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? क्या यह 144 किसी मजिस्ट्रेट या किसी मंत्री के दिमाग का फितूर है जहां चाहे लगा दी।

श्री रेवती कान्त सिंह (बिहार) : सारे हिन्दुस्तान से वे लोग आए हैं। मैंने 14 तारीख को ही इस बारे में कालिग अटेंशन दिया था। पता नहीं वह स्वीकृत हुआ या नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। कम से कम आप सरकार को कहें कि उनकी मांगों के बारे में यहां एक वक्तव्य तो दे।

श्री राजनारायण : यह क्या मजाक है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) : शुक्ल जी कुछ कहना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : जी नहीं।

6—26 R. S./68

**RESOLUTION RE CONTINUANCE
OF THE PRESIDENT'S PROCLAMA-
TIONS IN RELATION TO THE STATE
OF UTTAR PRADESH—contd.**

श्री एस० डी० मिश्र (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, साधारण तौर पर से ऐसे प्रस्ताव की, जिससे प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूती न मिलती हो हम उसकी ताईद नहीं करते लेकिन ऐसे समय में मंत्री जी ने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है कि हम कुछ चाहें या न चाहें इस प्रस्ताव को हमें पास करना ही होगा, इसका अनुमोदन हमें करना ही होगा। क्यों राष्ट्रपति शासन हुआ, इन तमाम बातों पर जब यहां पहली बार यह विवाद हुआ था, चर्चा हो चुकी है। मैं समझता था कि उन बातों पर चर्चा कम होगी। वह एक लम्बी कहानी है। इस बात का दुख नहीं है कि...

श्री राजनारायण : श्रीमन्, पाइन्ट आफ ऑर्डर इस समय कोरम नहीं है, इस लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जानी चाहिए।

श्री शालभद्र याजी : हो जायगा।

श्री राजनारायण : हो जायगा तब देखा जायगा। कोरम नहीं है तो कैसे कार्यवाही चलेगी। श्रीमन्, आप कृपा कर हमें छुट्टी दीजिये हम सब भीग गये हैं, जरा देखिये, कपड़ा बदलना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D-THENGARI): You continue, Mr. Misra-

श्री राजनारायण : श्रीमन्, कोरम के अभाव में भी भाषण जारी रहेगा और वह रिकार्ड होगा। कोरम का प्वाइंट न उठे तो बात दूसरी है लेकिन जब कोरम का प्वाइंट उठ जाय तब कार्यवाही नहीं चलेगी और वह रिकार्ड नहीं होना चाहिये।

श्री आर० एस० दुगड़ (पश्चिमी बंगाल) : अपोजीशन का भी काम है कि वह कोरम दे।

श्री शीलभद्र याजी : वाइसचेयरमैन साहब, वह तो चाय पीने चले जा रहे हैं और दूसरों को चाय भी पीने नहीं देते। वह एक जवाब-देह मेम्बर हैं। उनको यहां बैठना चाहिये। जो कोरम की बात उठाये उसके लिये लाज्जमी है कि वह बैठे।

श्री राजनारायण : यह नियम नहीं है मगर यह प्रथा हमने चलाई है कि जो कोरम का प्रश्न प्रस्तुत करे उसको जाना नहीं चाहिये। लेकिन यह कानून नहीं है। हां, हम संसदीय जीवन में यह परम्परा डाल चुके हैं कि उसे खुद कोरम को खंडित करने के लिये सदन का त्याग नहीं करना चाहिये, उसको सदन में रहना चाहिये। तो हम सदन में रहते हैं। हम बैठे हैं और कोरम अगर हो जायगा तो हम चले जायेंगे और अगर कोरम नहीं होगा तो कार्यवाही नहीं चलने देगे। श्रीमन्, अब कार्यवाही स्थगित कीजिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : Let us see. (After a pause) Now there is a quorum. Mr. Misra, you can continue now.

श्री एस० डी० मिश्र : श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि साधारण तौर से यह कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है कि ऐसे प्रस्तावों का अनुमोदन करें।

श्री राजनारायण : मत करो।

श्री एस० डी० मिश्र : दरअसल में जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ और राष्ट्रपति का शासन हुआ उससे कोई हम लोगों को बड़ी खुशी नहीं है और जितना दुख हम लोगों को कांग्रेस के हारने का 1967 ई० में हुआ था तो जब संविद की सरकार टूटी तब यह तो मैं नहीं कहूंगा कि उतना दुख हुआ लेकिन इस बात का जरूर दुख हुआ कि प्रजातंत्र के इतिहास में संविद सरकारों ने जो एक प्रयोग शुरू किया था जिसमें कि उत्तर प्रदेश और देश को एक नई आशाएँ देने की बात कही थी वह सफल नहीं हुआ, उससे बड़ी भारी निराशा हुई।

अभी भाई पीताम्बर दास जी ने बहुत सी बातें कहीं और उन्होंने इस बात की बड़ी चर्चा की कि जब संविद सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो बहुत दिनों के बाद एक घाटे का बजट न रख के उसने एक सरप्लस बजट रखा और इसके लिये बड़ी बघाई इन्होंने अपनी संविद सरकार को दी। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर संविद की सरकार रह गई होती दो तीन वर्ष और तो शायद सभी सरप्लस बजट हो जाते क्योंकि इन्होंने किया क्या? साल भर का समय बिल्कुल व्यर्थ बर्बाद कर दिया, कोई काम नहीं किया। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ। अब मैं आंकड़े देना चाहता हूँ। मैं माननीय पीताम्बर दास जी को याद दिलाना चाहता हूँ। उस समय वह विधान परिषद में थे, मैं यहीं था। मैं उनको उत्तर प्रदेश की एक बात की याद दिलाता हूँ। 1966-67 ई० में उत्तर प्रदेश में 712 ट्यूबवैल्स लगे और करीब 24 हजार पम्पिंग सेट्स लगे और वह कांग्रेस का जमाना था लेकिन जब उनका जमाना आया, संविद सरकार का जमाना आया तो जरा अपने आंकड़ों को मिला ले कि इन्होंने यह टारगेट रखा कि 112 ट्यूबवैल साल भर में बनायेंगे, ऐसा आंकड़ा अपने सामने रखा और उसको भी नहीं पूरा कर सके।...

श्री पीताम्बर दास : इतने सारे तो आपने बना दिए थे, और बनाने की क्या आवश्यकता रह गई थी?

श्री एस० डी० मिश्र : ... और 24 हजार पम्पिंग सेट की बात क्या, वह तो कुछ हजारों में ही रह गई। इनका कार्यकाल तो आपस में लड़ते ही बीता, जनसंघ के लोग सोशलिस्ट्स से लड़ते रहे और सोशलिस्ट पार्टी के लोग कम्युनिस्टों से लड़ते रहे, एक दिन वह इस्तीफा दें तो फिर कहीं इसमें पिछड़ न जाय इसलिए दूसरे दिन दूसरे इस्तीफा दे दें उनका मुकाबिला करने के लिये और तीसरे दिन तीसरे।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : जो कमलापति त्रिपाठी और गुप्ता जी लड़ते रहे वह क्या है ?

श्री एस० डी० मिश्र : वह आप कहें ।

श्री राजनारायण : यहां तो कांग्रेस इस्तीफा मांगने पर भी इस्तीफा नहीं देती, कम से कम हम यह तो करते हैं ।

श्री एस० डी० मिश्र : राजनारायण जी आप कृपा कर के बैठिये, और सुनिये मैंने आपको टोका नहीं :

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि अगर ये काम करते रहते तो मैं समझता हूँ कि सरप्लस 65 लाख का नहीं बल्कि तीन चार वर्ष में तो 65 करोड़ का ही सरप्लस कर देते । क्या किया इन्होंने । हमारे यहां तृतीय पंचवर्षीय योजना में और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के शुरू में हर साल सात सात या छः छः करोड़ रु० की ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत बहुत सी सड़कें देहातों में बनाई जाती थीं लेकिन इनके चरण आते ही क्या हुआ कि वह सब योजना आधी साफ हो गई, आधी योजनायें खत्म हो गई, तो इनको बढ़ाई तो इसलिये देना चाहिये कि जो योजना चल भी रही थीं, जिनका श्रीगणेश कांग्रेस के जमाने में हुआ भी था, उनको भी इन्होंने खत्म कर दिया । कोई योजना उन्होंने चलाई नहीं । और जो योजना चली थी उसको भी खत्म कर दिया, तो पैसा कैसे नहीं बचेगा । माननीय पीताम्बर दास ने कहा कि हमने यह टैक्स माफ किया, वह टैक्स माफ किया लेकिन एक साल पूरा सवा छः एकड़ की माफी की बात करते हुए बीत गया और आखीर में वह बातों में ही रह गया, सवा छः एकड़ की माफी तो नहीं हुई लेकिन कोई लगान की माफी तो नहीं हुई और सूखे के जमाने में 1965-66 और 1966-67 में कांग्रेस ने जो कुछ इलाकों में कुछ जगह लगान मुलतवी किया था और कुछ जगह लगान माफ किया था, उसके लिये मुझे खेद के साथ

इस सदन में कहना पड़ता है कि जब संविद की सरकार आई तो उसने उस सूखे के जमाने के लगान को सब का सब एकदम से वसूल कर लिया । मेरा जिला जो बनारस जिला है जिससे माननीय राजनारायण जी आते हैं वह बतलाएं । उनकी तहसील की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बनारस तहसील की बात करता हूँ और मैं दो तहसील से आता हूँ । वहां भी सब-सूखे की स्थिति थी तो जो लगान मुलतवी था वह वसूल कर लिया गया । एक और तो जो लगान मुलतवी है, जो माफ होने वाला है उसको वसूल कर लिया और दूसरी ओर काम बंद कर दिया तो सरप्लस बजट आप ही होगा । वह घाटे का बजट कैसे होगा । अगर तीन, चार वर्ष आप रह जाते तो कुल सरप्लस ही सरप्लस दिखायी देता ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब संविद सरकार आयी तो उन्होंने 19 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया उसी के बल पर यह आए थे . . .

श्री राजनारायण : नहीं नहीं, वह 1967 से है ।

श्री एस० डी० मिश्र : विधान सभा में इस पर वोटिंग हुई, इस पर कांग्रेस मंत्रि-मंडल का पतन भी हुआ और उनकी सरकार बनी । उन्होंने कहा ही था श्रीमन्, कि हम छात्रों की फीस माफ करेंगे, हम सिचाई के रेट कम करेंगे, प्राइमरी अध्यापक की तनखाह 150 रु० देंगे, ऐसे ऐसे करीब 19 कार्यक्रम उन्होंने बनाए लेकिन सबका उन्होंने छीछालेदर किया । एक सवाल हो गया अध्यापकों को एक पैसा नहीं दिया और उसकी एक कठण कहानी है । हर साल कांग्रेस के जमाने में, जब से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, हर साल ज्यादा नहीं तो कभी एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया प्राइमरी अध्यापकों की तनखाह बढ़ाई जाती थी, क्योंकि ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती थी लेकिन खेद की बात है कि उत्तर

[श्री० एस० डी० मिश्र]

प्रदेश में प्राइमरी अध्यापकों की तनख्वाह कम है और हर साल दो चार रुपया बढ़ा दिये जाते थे लेकिन संविद की सरकार के जमाने में उनके लिये बजट में एकपैसा नहीं बढ़ा और जो हरिजन ग्रांट में जो कांग्रेस के जमाने में हरिजन ग्रांट मिलता था उसका काफी हद तक उन्होंने सफाया कर दिया। तो जब गरीबों का काम नहीं करोगे, जब प्लान का काम नहीं करोगे अध्यापकों को तनखाहें नहीं दोगे, जब सड़कें नहीं बनाओगे, अस्पताल नहीं बनाओगे ट्यूब वेल नहीं लगाओगे तब एक ताज्जुब की बात है कि केवल 65 लाख का ही सरप्लस क्यों हुआ, एक साल में डेढ़ करोड़ रु० सरप्लस हो जाना चाहिये था। मैं नहीं जानता बकाया रुपये का क्या हुआ। इतनी अकलमंदी जो उन्होंने साल भर में कर दिखायी इसका अफसोस न उन्हें होना चाहिये, न मुझे होना चाहिये। एस० डी० को स्वयं विनाशकारी दल लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह भी गलत है, इसको सर्वविनाशकारी दल कहना चाहिये। तो उन्होंने स्वयं विनाशकारी करके सर्वविनाशकारी कर दिया। उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया। तो उन्होंने क्योंकर अफसोस होना चाहिये। अफसोस तो हमें है और उन्होंने जनता का कोई कल्याण नहीं किया, उनका नाश किया।

उपसभाध्यक्ष जी, इन बातों को कहते हुए मुझे एक बात जरूर मंत्री जी से कहना है। अभी इसको वह करना चाहें या न करना चाहें क्योंकि अभी जो हालत है उसमें छः महीने अभी गवर्नर शासन रहेगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि कुछ न कुछ एड्वाइजर्स उत्तर प्रदेश की सरकार में जरूर रखे जायें क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी वहां पर है वह ऐसे ढंग से काम कर रही है कि मुझे स्वयं भी पूरे ढंग से संतोष नहीं है। आज हालत क्या है। जो गवर्नर का शासन वहां चल रहा है उसके लिये जनता में प्रचार संविद

वाले खास तौर पर कर रहे हैं अभी तो संविद नहीं है अब तो टूटे फुटे हैं लेकिन वह प्रचार यह करते हैं कि गवर्नर के शासन के मानी केन्द्र का शासन है और केन्द्र का शासन आज जो गलत काम कर रहा है उसके लिये केन्द्र जिम्मेदार है। इसको तो मैं मानता नहीं हूँ मगर न मानते हुए भी अच्छा यही होगा कि प्रजातंत्र के कुछ तत्व उनके साथ जोड़े जायें, कुछ कमेटीयां जरूर बनीं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा शासन है कि सेक्रेटरी लोग इधर उधर के अपने ही कामों में फँसे हुए हैं। क्या करना चाहिये शासन को वह नहीं कर पा रही हैं। तो मेरा खयाल है कि उधर मंत्री जी जरूर ध्यान दें।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि शासन में कमियों बहुत हैं लेकिन मैं गवर्नर को इसके लिये भी बधाई दूंगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक विषमता है "बिजा बिज बन् रीजन टु अनदर" उसको उन्होंने हाइलाइट किया है। यह काम उन्होंने अच्छा किया। दूसरे उन्होंने अनाउन्स किया कि मैं टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी कायम करना चाहता हूँ। हम मांगे तो रखना चाहते हैं, हम पैसा खर्च करना चाहते हैं लेकिन यह बतलाना नहीं चाहते वह पैसा कहां से आयेगा यह राजनीतिज्ञों की, हम लोगों की, बड़ी कमजोरी है। तो गवर्नर शासन ने इस प्रदेश में एक कदम उठाया है और मैं समझता हूँ उस कमेटी के जरिये जो सिफारिशें आई हैं उस पर जो नयी सरकार चुनी हुई आयेगी, जो कोई सरकार आयेगी, और आशा है हमारी कांग्रेस की सरकार होगी सर्व विनाशी सरकार नहीं होने वाली है, तो जो कोई सरकार आए वह फैसला ले तो उसके लिये मैं गवर्नर के शासन को बधाई देता हूँ।

एक बात का मुझे दुःख है कि अभी गवर्नर शासन ने बिजली के रेट के संबंध में बड़ी भारी

घांधली की है। मैं मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि उस घांधली को वह स्वयं वहां से लोगों को बुलवाकर और पूछकर देख लें। अभी आठ दिन हुए, गवर्नर शासन ने एक आज्ञा दी है और मैं समझता हूं वह पूरे हिन्दुस्तान में नहीं है, कि अभी किसी किसान को बिजली देनी पड़ती है तो वह दिक्कत चल रही थी कि फुट फुट के नाम पर पैसा देते थे, वह तो कहानी चल ही रही थी कांग्रेस के जमाने से अब उन्होंने 3 रु० से 50 रु० कर दिया। पांच हासंपावर का पम्प अगर एक आध मील दूरी पर होगा तो लगा जायेगा और 50 रु० मिनिमम चार्ज पर बिजली लग जाती थी, अब उन्होंने एक आदेश शुरू कर दिया है कि किसान या कोई और जितना रेट देता है पर हासंपावर 8 रु० महीना वह और दे। इसके मानी हुए कि अगर 5 हासंपावर का हमारे पास पम्पिंग सेट है तो जितना रेट हम देते हैं कन्जम्शन का चालीस रुपये महीने तो बारह गुणा चालीस यानी 480 रु० साल, हम और दें। ऐसा किसी प्रदेश में नहीं हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि पावर एन्ड इरीगेशन मंत्रालय ने ऐसी कोई सलाह उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दी है...

श्री राजनारायण : ऐसा क्यों किया ?

श्री एस० डी० मिश्र : यह पूछना चाहिये। यही तो मैं मांग कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी इस बात को पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह पता लगाएं कि क्यों हो रहा है। मेरी इत्तिला तो यह है कि अगर ऐसा ही रहा तो किसान अदालत में जायेंगे, लेकिन बेचारा किसान क्या करेगा, किसान तो गरीब है। राष्ट्रपति शासन में तो ऐसी बातें नहीं जो किसान के हित के बिल्कुल विपरीत हों। आज दुख इस बात का होता है कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब 50 मिलियन यानी 50 करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती है, कुल पौने 2 करोड़ टन गल्ला पैदा होता है।

SHRI CHANDRA SHEKHAR (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Mr. Misra has raised a very serious point. He says that the U. P. Government has imposed a levy on the electricity transmitters. If it is so, it is a Budget proposal or taxation. The hon. Minister is duty bound to clarify the position whether without informing the Parliament, the Governor or the Administration there is entitled to levy fresh taxes on the peasantry of U.P. It is a serious matter. It is arrogating the right of the Parliament because without informing the Parliament and without getting the sanction of the Parliament no Fresh taxation can be imposed on the people of U. P. If the facts given by Mr. Misra are correct, it is a serious matter and the hon. Minister should inform the House under what circumstances the U.P. Government, without taking the sanction of the Parliament, imposed this duty upon the farmers of U. P.

श्री एस० डी० मिश्र : सभापति जी मैं जो कह रहा था बिल्कुल साधिकार कह रहा था। यह बात हुई है और कैसे हुई है इसकी जानकारी मंत्री जी लें और यहां हमको दें। मैं सरकार को यह जानकारी दे रहा हूं कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह लेवी लगाई है। मेरा कहना है कांस्टीट्यूशनल पाइन्ट बिल्कुल सही है, जो माननीय सदस्य ने कहा वह ठीक है लेकिन मंत्री जी इसका जवाब दे। कांस्टीट्यूशनल या लीगल बात चाहे कुछ हो लेकिन उत्तर प्रदेश जो अपने को पिछड़ा कहता है, खेती में, उद्योग में, तो दोनों में उसको अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं यह जो स्थिति है उसमें किसानों के लिये बड़ी असुविधा हो जायेगी और मेरी इत्तिला है कि इन्डस्ट्री पर भी जैसे जैसे वह सरप्लस हुआ इन्डस्ट्री में भी यह लागू कर दिया गया है। अब इसका पता लगाया क्या स्थिति है। मैं तो जानता नहीं। उप सभाध्यक्ष, महोदय, मैं यह कह रहा था कि बगल के प्रान्त पंजाब में, दोनों पंजाब के सम्मिलित आंकड़ों को देखा जाय तो वहां पर करीब 2½ करोड़ एकड़ भूमि में पैदावार होती है और हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 4½ और 5½ करोड़ एकड़ भूमि में पैदावार होती है। थोड़ा ही फर्क है। हमारे उत्तर प्रदेश

[श्री एस० डी० मिश्र]

की भूमि पंजाब की भूमि के बराबर में हर तरह से बुन्देलखंड और पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेन्ट्रल उत्तर प्रदेश की भूमि— अच्छी है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता को यह मालूम नहीं है कि वहां पर कितना इरिगेशन पोटेंशियल है। कितनी नदियों में पानी है, कितना जमीन के अन्दर पानी है। सब जगह प्रान्तों में इरिगेशन कमीशन हुआ और उसने बतलाया कि कहां पर कितने पम्पिंग सेट होने चाहिये कितने ट्यूब वेल्स होने चाहिये और कहां पर कैनाल्स बन सकती है। मगर हम उत्तर प्रदेश के लिए 12 और 13 वर्षों से इरिगेशन कमीशन की मांग कर रहे हैं, प्लानिंग बोर्ड में भी मैंने इस संबंध में मांग की थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बारे में न कांग्रेस सरकार ने, न संविद की सरकार ने और न ही राष्ट्रपति शासन ने कोई कार्यवाही की। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से राज्यपाल के लिए यह हिदायत दी जाय कि वहां पर एक इरिगेशन कमीशन की स्थापना की जाय। आज उस प्रान्त के लिए इरिगेशन कमीशन की इतनी बड़ी आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए कम से कम यह कार्यवाही करना आवश्यक है। जिस तरह से महाराष्ट्र में और गुजरात में इरिगेशन कमीशन बनाया गया और उसने बहुत अच्छी जानकारी प्रान्त के संबंध में दी, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के लिए भी एक इरिगेशन कमीशन होना चाहिये। लेकिन आज वहां पर क्या हो रहा है। अगर कहीं पर ट्यूबवेल है, तो उसी के बगल में पम्पिंग सेट है, उसी के बगल में कैनाल है। इस तरह से वहां पर म्यूचुअल कंसिलिंग सोसायटी हो गई है। वन कंसिल्स दी अदर। इसलिये जो स्कैयर्स रिसोर्सेज है, उनका अच्छी तरह से अप्लीकेशन नहीं हो रहा है।

अब मैं सदन के सामने सरयू कैनाल के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। मेरी जानकारी यह है कि अगर सरयू कैनाल की स्वीकृति हो जाय, तो पूर्वी जिलों में इतनी नहर हो जायगी कि पूर्वी जिलों में पानी की कमी नहीं रहेगी। आज वहां पर पानी की बहुत कमी है। मैं अपने जिले की बात करता हूं जहां सरयू कैनाल आता है। कैनाल के लिए जमीन ले ली गई है। कैनाल को हम 10 वर्षों से देख रहे हैं और रोज सबेरे कैनाल को नमस्कार करते हैं, लेकिन वहां पानी नहीं आता है। अगर यह सरयू कैनाल बन जाय तो करीब 25 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी। मैंने इसका हिसाब लगाया तो पाया कि इसमें करीब 70 और 80 करोड़ रुपया खर्चा आयेगा और एक साल में करीब 60 करोड़ रु० की फसल पैदा होगी। अब आपही सोचिये कि अगर किसी काम पर 70 या 80 करोड़ रु० लगाया जाय और वह तीन साल के बाद प्रतिवर्ष 60 करोड़ रु० की आमदनी देने लगे तो क्या यह कार्य नहीं किया जाना चाहिये। सरयू कैनाल की स्वीकृति नहीं हुई है और वह लिस्ट में भी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि गवर्नर महोदय का ध्यान इस ओर अवश्य जायेगा और जो तमाम बातें मैंने कहीं उन पर भी उनका ध्यान अवश्य जायेगा।

मैं बैकवर्ड एरिया की बात इसलिए करना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से हमारे देश में एरियाज इम्बेलेन्स है। हमारे यहां एरियाज इम्बेलेन्स परसनल इम्बेलेन्स और राज्य भर में पार्टी इम्बेलेन्स है। मैं यह बात नहीं चाहता हूं कि हमारा राज्य दूसरे राज्य से पिछड़ा हुआ रहे। मैं इस बारे में लम्बी बात नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन हमारे राज्य में कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। हमारे प्रान्त के जो पूर्वी जिले हैं वे बहुत पिछड़े हुए हैं और भागव साहब के जो पश्चिमी जिले हैं वे खुशहाल हैं और वे इन्हीं जिलों से आते हैं। 1966-67 में हमारे जिले में कुल मिलाकर

3 हजार पम्पिंग सैट लगे थे और भागव साहब के जिले में करीब 19, 20 हजार पम्पिंग सैट लगे थे। जिस इलाके से मैं आता हूँ उसमें कुल मिलाकर 16 जिले हैं और उनमें इतने कम पम्पिंग सैट लगाये गये हैं। मुझे खुशी है कि भागव साहब के इलाके वाले खुशकिस्मत हैं, लेकिन हमारे इलाके में गरीब लोग बसते हैं और इसके माने यह नहीं हुए कि वहां की जनता का ख्याल न किया जाय। इसलिए यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि एक ओर तो रीजनल इम्बैलेंस है और दूसरी इस तरह के इम्बैलेंस दिखलाई देते हैं। मैं इस बात की शिकायत नहीं करना चाहता हूँ कि केन्द्र ने पैसा कम दिया। वह बात तो है ही, लेकिन जिस तरह से हमारे पूर्वी इलाके की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, उसकी ओर मैं केन्द्र और राष्ट्रपति द्वारा शासन चलाने वाले सरकारी अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

हमारे यहां जी० टी० रोड जाती है जो कि एक नेशनल हाईवे है। इस तरह की हाईवेज हमारे यहां करीब तीन और चार हैं। मैं कई प्रदेशों में घूमा हूँ और वहां की नेशनल हाईवेज को देखा है और जब अपने यहां की हाईवेज से तुलना करता हूँ तो पाता हूँ कि हमारे यहां की जो हाईवेज हूँ वे अच्छी नहीं हैं। हमारे शुक्ल जी का जो प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मद्रास है, मैसूर है, बिहार है, इनकी जितनी भी हाईवेज हैं, उनके मुकाबले में जब मैं अपने यहां की हाईवेज को देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। ऐसा लगता है कि क्या हम किसी और मुल्क में रह रहे हैं, क्या हम भारत-वर्ष में नहीं रहते हैं। हमारे यहां जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी चौड़ाई करीब 12, 15 और 18 फुट होगी। मद्रास और मध्य प्रदेश की जो हाईवेज हैं, जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है उनकी चौड़ाई 18 फुट से लेकर 24 फुट तक है और वे तारकोल तथा सीमेंट की बनी हुई हैं।

श्री शेर खां (मैसूर) : आन्ध्र प्रदेश की हाईवेज देखिये, तब आपको पता चलेगा।

श्री अरुवर अली खान : आन्ध्र में अच्छी हाईवेज हैं।

श्री शेर खां : बिल्कुल खराब हैं। आप हैदराबाद की तरफ देखिये।

श्री एस० डी० मिश्र : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

अंत में, मैं यह बात कहकर बैठ जाऊंगा कि एक सज्जन ने, मुझे मालूम नहीं शायद श्री राजनारायण जी ने, गुप्ता जी के बारे में 75 लाख रु० के डोनेशन की बात कही थी। मैं उस संबंध में केवल एक वाक्य कहना चाहता हूँ कि उस मीटिंग में मैं मौजूद था और श्री गुप्ता जी ने इसके बारे में चर्चा की थी।

श्री राजनारायण : अबबारों में निकला है।

SHRI PITAMBAR DAS: You are also an accomplice.

श्री एस० डी० मिश्र : मुझे सुनिये क्योंकि मैं उस मीटिंग में था। यह एक कांग्रेसवालों की मीटिंग थी और उसे श्री गुप्ता जी सम्बोधित कर रहे थे। इस सम्बोधन में उन्होंने यह कहा कि आगामी चुनावों में हो सकता है कि हमें 60, 65 और 70 लाख रु० की जरूरत हो। यह धन हम पूंजीपतियों से नहीं लेंगे क्योंकि और दलों को भी पूंजीपतियों से धन मिलता है। हमें छोटे लोगों से लेना होगा। 50 लाख रु० हमें छोटे लोगों से इकट्ठा करना है और यह धन 10 रु० और 15 रु० पुर्जियां बांटकर संचय किया जायेगा। तो इस बात को न मालूम किस हंग से यहां पर कही गई है और इस संबंध में श्री गुप्ता जी और श्री दिनेश सिंह जी पर व्यंग किया गया है। मैं केवल व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस मीटिंग में था और राजनारायण जी नहीं थे।

श्री राजनारायण : यह तो सब बातें अखबार में निकली हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : The Minister.

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अभारी हूँ जिन्होंने इस बहस में भाग लिया।

SHRI Z. A. AHMAD (Uttar Pradesh): I want to speak; nobody from the Communist Party has spoken.

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) : आपका नाम नहीं है।

श्री राजनारायण : इन्हें भी बोलने दीजिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : You will kindly come to me.

SHRI Z. A. AHMAD : No, thank you. I am going.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : When I called the Minister there was no other name.

श्री राजनारायण : अब तक यहाँ पर यह परम्परा रही है कि जब कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसको बोलने दिया जाता है। अगर जनसंघ की पार्टी वालों का नाम नहीं होता है या हमारी पार्टी वालों का नाम नहीं होता है, तो जो बोलने के लिए खड़ा होता है, तो उसको बोलने दिया जाता है। जब जैड० अहमद साहब कह रहे थे कि मैं बोलना चाहता हूँ तो गृह मंत्री जी बोल रहे थे। मैं इस व्यवस्था का विरोध करता हूँ और इसलिए मैं सदन से वाकआउट करता हूँ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने अपनी आदत के अनुसार कई बुनियादी बातें उठाईं और उनका जवाब देने से पहले मैं इन चीजों का खंडन करता हूँ।

सब से पहले उन्होंने यह कहना शुरू किया और यह आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी

जान-बूझकर उत्तर प्रदेश में चुनाव टालना चाहती है। यह बात मैंने शुरू में ही कह दी थी जब कि मैंने शुरू में ही अपना भाषण प्रारम्भ किया था कि यह बात बिल्कुल नहीं है।

जो कुछ चुनाव आयोग तय करता है वह स्वयं अपने निर्णय के अनुसार तय करता है। चुनाव आयोग बिल्कुल स्वतंत्र है। उस की स्वतंत्रता के बारे में किसी को भी शक नहीं है। यहां तक कि माननीय सदस्य श्री भूपेश गुप्त जब बंगाल की बहस पर बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि चुनाव आयोग संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है और अपनी उस स्वतंत्रता के लिये चुनाव आयोग को बता भी दिया था कि चुनाव आयोग जो भी तारीख तय करता है वह सब प्रमुख राजनीतिक दलों से परामर्श करने के बाद तय करता है और यदि वह चुनाव पहले न कराये, बाद में कराये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया है लिखित रूप से कि जब भी वह चुनाव के लिये उचित समय निर्धारित करेंगे, हम लोगों को कोई उस में आपत्ति नहीं है और उसी समय हम चुनाव कराने को तैयार हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस बारे में जरा भी किसी माननीय सदस्य के मन में शंका न रहे कि केन्द्रीय सरकार किसी भी हालत में या किसी भी तरह से इस में इंटरफेरेण्ड है कि चुनाव अब हों या तब हों। इस में हमें किसी तरह की कोई रुचि नहीं है। जब भी चुनाव आयोग कोई तारीख निश्चित करेगा, हम लोग इस बात का प्रयत्न करेंगे कि उसी वक्त चुनाव किये जायें और चुनाव हों।

दूसरी बात जो श्री राजनारायण जी ने कही, जैसी कि उन की आदत है, आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने एक आरोप यह लगाया कि श्री दिनेश सिंह जी ने पार्टी के काम के लिये 5 लाख रुपया फलों जगह से लिया। मैं समझता हूँ कि यह बहुत गैर-जिम्मेदारी का और गलत आरोप है। इस

तरह का आरोप किसी भी जिम्मेदार माननीय सदस्य को सदन में आ कर नहीं लगाना चाहिये। इस से सदन की शोभा घटती है और साथ साथ इज्जत घटती है और मैं कहना चाहूंगा कि माननीय राजनारायण जी ज्यादा जिम्मेदारी की बातें करते हैं। जब हमारी पार्टी के कुछ लोग इस तरह की बातें करना चाहते हैं तो हम लोग उन को रोकते हैं और मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय राजनारायण जी की पार्टी के एक सदस्य ने—महाराज सिंह भारती ने—राजनारायण जी के ऊपर इस तरह के गंभीर व्यक्तिगत आरोप लगाये थे, लेकिन जब इस तरह की बात हमारे यहाँ से कहने की बारी आयी तो हम ने लोगों को रोका। इस तरह के जो आरोप लगाये जाते हैं उन को कम से कम इस सदन में नहीं कहना चाहिये जब तक कि हमारे पास संपूर्ण तथ्य न हों और उस को साबित करने की स्थिति में हम न हों।

SHRI AKBAR ALI KHAN : That is the right conduct.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं कहूंगा कि उन्होंने जो आरोप लगाये हैं वे सरासर निराधार और अशोभनीय हैं और गलत आरोप हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार के आरोप इस माननीय सदन में नहीं लगाने चाहिये और भी उन्होंने इस तरह की बहुत सी बातें कहीं एक घंटे के अपने भाषण में। मैं नहीं समझता कि उन बातों का कोई जवाब देने की आवश्यकता है क्योंकि उस में उन्होंने कोई ठोस मुद्दे की बात नहीं उठायी जिस के बारे में ठीक से जवाब दिया जा सके। मैं केवल एक ही बात उन को और कहना चाहता हूँ और वह है हिन्दी के उपयोग के बारे में, जिस विषय में श्री पीताम्बर दास जी ने भी थोड़ा सा कहा। मैंने इस की स्थिति को देखा। हालांकि राज्यपाल महोदय ने पुरानी स्थिति में थोड़ा फेर-बदल अवश्य किया है पर जो

चीजें हमारे सामने पेश की गयीं उन को देखने से पता चलता है कि हिन्दी की जो स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में उस में कोई अंतर नहीं हुआ। यह अवश्य हुआ है कि अंग्रेजी को जो स्थान खत्म कर दिया गया था उस को उस के स्थान पर फिर से बढ़ा दिया गया है। जहाँ तक कि विज्ञान का विषय है, यह बात ठीक है। इस बारे में मैं अपनी राय नहीं दूंगा। हो सकता है कि इस बारे में मेरी अपनी कोई राय हो, लेकिन यह काम हुआ है वहाँ। फिर जहाँ तक हिन्दी का सवाल है, हिन्दी की स्थिति को कम नहीं किया गया है। न उस की अनिवार्यता को कम किया गया है, न उस के उपयोग को कम किया गया है। इस लिये जो यह बात कही गयी, मैं नहीं समझता कि इस में कोई खास तथ्य है।

तारकेश्वर पांडे जी ने कुछ मुख्य सवालों पर हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया और यह कहा कि संस्कृत के संबंध में कुछ ऐसा फेर-बदल किया जा रहा है जिस से जो संस्कृत की शिक्षा उत्तर प्रदेश में दी जा रही है उस की स्वतंत्रता में और शिक्षा की उपयोगिता में कुछ असर पड़ेगा। जो वहाँ के वर्तमान राज्यपाल महोदय हैं वह संस्कृत भाषा के बहुत प्रेमी हैं और मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कार्य वह जानबूझ कर करेंगे जिस से कि संस्कृत की पढ़ाई में या संस्कृत की उन्नति में कोई बाधा पहुंचे। पर तो भी क्योंकि माननीय सदस्य ने इस मुद्दे को यहाँ उठाया है, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि . . .

SHRI BRAHMANANDA PANDA : The present Rajpal of Uttar Pradesh does not belong to South India; he belongs to East India.

SHRI AKBAR ALI KHAN : He belongs to Andhra; what do you mean?

श्री विद्या चरण शुक्ल : तो मैं इस के बारे में अवश्य जांच पड़ताल कर के जो उचित कार्यवाही होगी करने का यत्न करूंगा।

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

इसी तरह से उन्होंने प्राथमिक शिक्षकों के वेतन के बारे में और कुछ मामलों में हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मैं उन को यह कहना चाहता हूँ कि इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे।

श्रीमन्, डा. ह्याभाई पटेल जी ने जो सबेरे कुछ थोड़ी सी आपत्ति उठायी थी उस के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा उन्होंने की। उन्होंने भी यह कहा कि हालांकि बलिया फायरिंग और दूसरे स्थानों के बारे में ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव चार, पांच दिन पहले आ चुका था, पर आज जब उस के बारे में प्रश्नोत्तर हुए तब सरकार की तरफ से जितनी सूचना दी जानी चाहिये थी उतनी सूचना सदन को नहीं दी गयी। मैं एक बात अदब से यह कहना चाहता हूँ कि पूरी सूचना हम लोगों की तरफ से सदन को दी गयी। सूचना में किसी तरह की कोई खामी नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि जो कार्यवाही की गयी हो, उस से आप सहमत न हों, पर जहां तक सूचना का सवाल है, सूचना में कोई कमी नहीं है। कार्यवाही के बारे में जरूर कुछ टीका-टिप्पणी कर सकते हैं कि जो कार्यवाही होनी थी उचित ढंग से, वह नहीं हुई, पूरी कार्यवाही नहीं हुई, आधी कार्यवाही हुई। पर जहां तक सूचना का सवाल है, किसी सूचना को इस माननीय सदन से छिपाये नहीं रखा गया, जहां तक इन तीन प्रश्नों का सवाल है।

उसी के साथ साथ एक आरोप आप ने यह लगाया कि क्यों प्रधान मंत्री जी के निर्वाचन-क्षेत्र में एक जूते का कारखाना खोलने की बात हो रही है और चूंकि वहां कारखाना खोलने में कुछ मुश्किल हो रही है इस लिये जूते के कारखाने को नहीं खोला जा रहा है, उस में देर हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह बात बिलकुल गलत है और इस में कोई तथ्य नहीं है और इस तरह से प्रधान मंत्री जी का नाम धसीटना अशोभनीय है।

यह कोई बात नहीं है कि उन की कांस्टीट्यूएन्सी में यह कारखाना खोलने में किसी तरह की देर की जा रही है या किसी ने खास कोशिश की है कि उन की कांस्टीट्यूएन्सी में वह कारखाना खुले। हमारे यहां भारत सरकार में अभी तक इन कारणों से किसी बात पर भी विचार नहीं किया गया कि फलों की कांस्टीट्यूएन्सी में कोई कारखाना खोला जा रहा है और फलों की कांस्टीट्यूएन्सी में नहीं खोला जा रहा है और जहां तक प्रधान मंत्री जी का सवाल है उन को तो इस बात का कोई ज्ञान भी न होगा कि इस तरह का कारखाना वहां खोला जा रहा है। यदि उन की कांस्टीट्यूएन्सी में कोई फैक्टरी खुलेगी तो इस लिये कि वहां उसे खोलने के लिये पर्याप्त कारण हैं। इस लिये नहीं खुलेगी कि वह प्रधान मंत्री जी की कांस्टीट्यूएन्सी है। ऐसा होता तो आज तक इलाहाबाद के फूलपुर क्षेत्र में न जाने कितनी फैक्ट्रियां खुल गयी होतीं और कितनी उन्नति हो गयी होती। जो लोग फूलपुर क्षेत्र में गये हैं उन को मालूम होगा कि वहां पर कितनी ज्यादा उस क्षेत्र की उपेक्षा हुई है, हालांकि प्रधान मंत्री जी का वह क्षेत्र 15 साल तक रहा और उस के बाद भी उस क्षेत्र में कोई इस तरह का कार्य नहीं हुआ जो कि दूसरे क्षेत्रों में न हुआ हो। साधारण रूप से जो कार्य हर जगह हुआ करते थे उसी तरह के कार्य वहां भी हुए और इस प्रकार से आज के वर्तमान प्रधान मंत्री के निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में इस तरह के आरोप लगाना मैं नहीं समझता कि डा. ह्याभाई सरीखे बरिष्ठ नेताओं के लिये शोभनीय है। वह इस तरह की बात करें यह उचित नहीं है। कोई साधारण सदस्य कोई नया सदस्य जो संसदीय परंपरा में आता है अगर वह इस तरह की बातें करता है तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन इस तरह के बरिष्ठ सदस्य इस तरह की बात करें तो उस से हमारी संसद का स्तर गिरता है, हमारे स्तर में कमी होती है।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : I think the hon. Minister has misunderstood me. I said it was suggested but the matter has now been given up. It was suggested that the inference was very obvious and therefore questions were asked in this House. If the hon. Minister says that it is not taking place now, it is all right. I never said it is being done. I only ask a question; I am asking why a unit which is useful and which can employ so many people is not being used? That is all. The hon. Minister has misunderstood me.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I am saying that it is wrong even to suggest that kind of thing. It has never occurred to anybody that it could be taken in that light. Again, another point made by Dahya-bhaiji was that since President's Rule has been promulgated in Bihar, UP and Bengal, the Central Government has no moral authority to continue here. Well, this is a point which we all will find it hard to understand. We know how the President's Rule has come about in West Bengal. We have gone very thoroughly into the matter and if he holds the Central Government responsible for the promulgation of President's Rule and not the parties which are ruling West Bengal, he will have to further explain how he comes to this conclusion. The same thing applies to Bihar. He knows how Bihar was ruled for the last fifteen or sixteen months, how three Governments were formed, how the Chief Ministers functioned and in what manner the last non-Congress Chief Minister asked for President's Rule there and still he would try to beat the Central Government with whatever stick he gets, right or wrong, and try to put all the blame on the Government.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: That is why I am here.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : As the leader of the biggest group in Rajya Sabha, you are not expected to say anything which can be challenged. You are expected to be more responsible than others. I just want to bring to your notice that this really creates an atmosphere completely contrary to the atmosphere we want while considering these matters.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: I am here not to create an easy atmosphere for you. I am here to create an atmosphere that is difficult for you. I will persist in it always.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : would say that if you keep on functioning in this manner, you are only making matters easier for us. If you function more seriously and more studiously, it will become difficult for us. If you function in this superficial manner, it is better for me.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh) : Now, he will keep quiet.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir, Shri Sheel Bhadra Yajee, while speaking about the continuation of President's Rule, spoke about the irrigation potentialities of UP and the arrangements that we should make. While moving this motion for consideration, I mentioned that we do not look upon the President's Rule as a caretaker regime. We want to initiate some positive measures of public benefit. We want to do things which will in the long run benefit the people of U. P. This, of course, is subject to this that we do not want in any of our action, to commit the future elected Government of U.P. to any unwieldy financial expenditure. We do not want that kind of financial commitment to be made by our present action. Subject to this, we want to take action which has been delayed for many years and which could not be taken for some reason or other. Now, the Government functioning under the President's Rule has taken up those subjects and these are being pursued actively. This includes the question of minor irrigation. We are tackling this question and we do wish that, by the time the elected Government comes in, the development projects that we have taken up regarding minor irrigation will show some fruit and that irrigation facilities will become available to more and more cultivators.

This, of course, is the year when the Fourth Plan has to be formulated. It is a pity that the people's representatives are not there at present to formulate the Fourth Plan, which will have a long-standing effect, at least for three or four years. Developmental activities in the State of U. P. will go on on the basis of the Plan that will be formulated now. We have tried to bring in the democratic element in the formulation of the Plan by constituting the Governor's Advisory Committee, which consists of Members of Parliament, drawn from all political parties which are represented in Parliament. That Consultative Committee has met several times and given useful suggestions which have been taken into consideration while formulating the draft Fourth Plan.

[Shri Vidya Charan Shukla]

Hon. Member, Shri Pitamber Das, was pleased to say that even if all the political parties agreed to holding the election at a particular time and even if the Election Commission was agreeable to holding the election at that particular time, the Central Government should not agree to that and that they should try to hold the election at the earliest possible opportunity. I do not wish to take this kind of stand. It is wholly undemocratic and it militates against the freedom of the Election Commission. The Election Commission is supposed to decide all these things by itself. It does not consult the Central Government. It does not consult any Ministry of the Central Government...

SHRI PITAMBER DAS: You could disagree, your party could disagree with the Election Commission and with all the other parties.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: No. We will not disagree with any reasonable thing. If the Election Commission is taking a reasonable stand, why should we disagree with it? Only if we find that the Election Commission's stand is not in the public interest we should disagree, but when we find that what the Election Commission is contemplating is in the public interest, there is no question of any party disagreeing with it. I do not know whether the hon. Member's own party has not agreed with the Election Commission as far as this matter is concerned. If the hon. Member disagreed with the Election Commission's view, it would be far better if he had agitated this matter in his party council rather than in Rajya Sabha and he should have said that even if all the parties agreed they should not agree. This is the most undemocratic way of doing things. I would say that it is not proper that we should ever think in terms of interfering with the independence of the Election Commission.

I am afraid the hon. Member misunderstood me on another thing. While moving my motion for consideration I mentioned that we are anxious that the President's Rule should come to an end as quickly as possible. This is what I said and I would advise the hon. Member to consult the record. I have not said that we want that President's Rule should continue. He has got me completely wrong on this. I have said that we are not at all happy with the President's

Rule in the biggest State of the nation and it is an irony of fate the President's Rule had to be imposed on a State like U. P. I was taken aback when I was wrongly quoted....

SHRI PITAMBER DAS: Your very Resolution wants continuance of President's Rule. How do you say you don't want it?

R SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I have already explained that the Resolution had to be brought forward because the Election Commission decided that it was not possible for them to hold the election within six months. That is why this Resolution has had to be brought forward to continue President's Rule beyond six months and it can go on only if Parliament approves it for the next six months. If the elections are held within the next two or three months, the President's Rule will end and the democratic rule will come in. So, there is no difficulty, as far as our thinking goes, and we do not want the President's Rule to continue in U. P. for a moment more than necessary.

Hon. Member, Shri Shyam Dhar Misra brought out some useful points and he made some very useful suggestions. Since there is no time, I would request him to bear with me. We will take all his points into consideration and do whatever is necessary. I would commend my Resolution for the acceptance of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI): The question is:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 25th February 1968, under article 356 of the Constitution, as varied by subsequent Proclamation issued by the President on the 15th April, 1968, under clause (2) of article 356 of the Constitution, in relation to the State of Uttar Pradesh, for a further period of six months with effect from the 25th September, 1968".

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 20th August, 1968.